संख्या-8/2016/367/63-व0उ0-2016-125(एच)/91

प्रेषक,

हरिशंकर भट्ट,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 28 मार्च, 2016**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनियों/स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/नेशनल हैण्डलूम एक्सपो के द्वितीय/अन्तिम किस्त की धनराशि रू0 68,60,795.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1694/हक-प्रदर्शनी/2015-16, दिनांक 09.03.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि अपर विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-4/19/2014-डी.सी.एच./पी0एण्ड ई/यू.पी., दिनांक 04.03.2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनियों, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो एवं नेशनल हैण्डलूम एक्सपो के द्वितीय/अन्तिम किस्त की धनराशि रू0 68,60,794.80 का भुगतान राज्य के बजट से करने की अपेक्षा की गई है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनियों/स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/नेशनल हैण्डलूम एक्सपो के द्वितीय/अन्तिम किस्त की धनराशि क्रमशः रू0 13,55,659.00 (रूपया तेरह लाख, पचपन हजार, छह सौ उनसठ मात्र) तथा रू0 55,05,136.00 (रूपया पचपन लाख, पॉच हजार, एक सौ छत्तीस मात्र) अर्थात् **कुल धनराशि रू0 68,60,795.00 (रूपया अड्सठ लाख, साठ हजार, सात सौ पंचान्नबे मात्र)** के आहरण की अनुमति/स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-06, लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 103-हथकरघा उद्योग, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें, 0102-राष्ट्रीयकृत हथकरघा विकास योजना, 27-सब्सिडी के अन्तर्गत श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

3- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश के निर्देशों का अनुपालन करते हुए भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत ही धनराशि अवमुक्त/व्यय की जा सकेगी।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को व भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, कानपुर का होगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 में वर्णित निर्देशों/प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-367/63-व0उ0-2016-125(एच)/91, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।

3- विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in